न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 43/2019 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर अलवर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर

.....प्रतिवादीगण/अपीलाण्टान

बनाम

1. रामसिंह पुत्र छाजूराम जाति ग्वारिया
2. सुरेश चन्द पुत्र छाजूराम जाति ग्वारिया निवासी मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर

.....वादीगण/रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–

1. सरकार पैरोकार।
2. श्री राकेश यादव, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 27.09.2021

यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ में दायर दावा संख्या 01/10/17 बउनवान रामसिंह बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2018 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेण्टगण ने तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ के समक्ष अर्न्तगत धारा 88, 188 आरटीएक्ट इस आशय का वाद पत्र प्रस्तुत किया कि आराजी ख.नं. 308 मिन रकबा 01 बीघा, 333 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम नंगला चिरावडा तहसील रामगढ में स्थित है, जो विवादित है। विवादित आराजी राज्य सरकार द्वारा हम वादीगण के पिता छाजूराम को भूमिहीन काश्तकार होने के नाते वास्ते काश्त दिनांक 16.09.75 को हस्व जाब्ता अलॉट की गई व मौका पर दखल दिया गया और बाद आवंटन छाजूराम के हक में इस आराजी का इन्तकाल गैरखातेदारी स्वीकार होकर जमाबन्दी सम्वत 2032 व 2036 में छाजूराम के नाम अलॉटी

गैरखातेदार काश्तकार का इन्द्राज कर दिया गया बाद आवंटन छाजूराम ने काफी मेहनत करके आराजी को काबिल काश्त बनाया जो अपने जीवनकाल तक इस आराजी पर काबिज काश्त रहा एवं छाजूराम का देहान्त होने पर उसकी विरासत से यह आराजी वादीगण को प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण काबिज है। इस प्रकार विवादित आराजी वादीगण के पिता छाजूराम को अलॉटशुदा भूमि है और इस पर आवंटन के बाद से लगातार हमारा कब्जा काश्त चला आ रहा है और आवंटन का 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है इसलिए कानूनन विवादित आराजी पर वादीगण को हकूक खातेदारी प्राप्त हो चुके हैं, आज भी मौके पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। विवादित आराजी वक्त आवंटन बारानी सोयम थी व काबिल काश्त है एवं यह कभी चारागाह नहीं रही ना चराई के काम आई बल्कि आवंटन के बाद से काश्त होती चली आ रही है व आज भी वादीगण का कब्जा काश्त है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2049 में विवादित आराजी जो ग्रामवासियों द्वारा चराई के अलावा दूसरे सम्मिलित प्रयोजनार्थ हेतु रखी गई बिना जोती भूमि चारागाह दर्ज कर दिया गया व इसी प्रकार बाद में रिकार्ड में अमल होता चला आ रहा है जो इन्द्राज गलत है और खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है इसलिए वादीगण इस गलत इन्द्राज को कलम जन कराकर उसके बजाय राजस्व रिकार्ड में वादीगण अपने आपको विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज कराने के अधिकारी है। इस प्रकार वादीगण/रेस्पोडेण्टगण द्वारा मातहत अदालत से राजस्व रिकॉर्ड में अपने आपको विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज कराने का निवेदन किया गया, जिस पर मातहत अदालत द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पाटा में दिनांक 10.05.2018 को वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया कि आराजी ख.नं. 308 मिन रकबा 01 बीघा, 333 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा के हाल ख.नं. 508 रकबा 1.02, 480/1241 रकबा 0.28 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम नंगला चिरावडा तहसील रामगढ़ जिला अलवर में जो सहबन से चारागाह दर्ज कर दिया उस इन्द्राज को कलमजन कर वादीगण का काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है। मातहत अदालत द्वारा तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया गया कि उक्तानुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम का अंकन करना सुनिश्चित करें। मातहत अदालत द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादीगण द्वारा अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत खातेदारी अधिकारी दिया जाना प्रतिबन्धित है जिसके क्रम में राजस्व ग्रुप (6) द्वारा समय समय पर परिपत्र जारी किये गये हैं। धारा 16 चारागाह भूमि के बाबत खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते मगर इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने कतई गौर नहीं किया। रिकॉर्ड में विवादित आराजी चारागाह दर्ज है और चारागाह आराजी को काश्त के लिए अलॉट नहीं किया जा सकता। अगर रेस्पोडेण्टान ने कोई कब्जा अलॉटमेन्ट के आधार पर किया है तो वह अतिक्रमी की तारीफ में आता है और अपीलाण्टान ने अतिक्रमी बचने से दावा गलत तौर से पेश कर डिक्री कराया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट भी पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 05 लिमिटेशन एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2018 को पारित की गई है मगर राज कार्य में व्यस्त होने की वजह से निर्णय व डिक्री की नकल के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 11.04.2019 को प्रस्तुत किया गया कि जो नकल दिनांक 11.04.2019 को प्राप्त की गई है कि जिससे यह अपील बिना किसी देरी के

श्रीमान की सेवा में पेश की जा रही है। अपील पेश करने में जो देरी उक्त कारण से हुई है वह काबिल माफी है व कण्डोन किये जाने योग्य है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए सरकार पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम सरकार पैरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाण्ट श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय स्वयं सम्पूर्ण जिला के प्रशासनिक कार्य को देखते है जिस कारण पत्रावली प्रकरण लम्बे समय तक विभिन्न कार्यालयों से अपीलाण्ट के कार्यालय को प्राप्त हुई जिस पर राजकीय अधिवक्ता की विधिक राय प्राप्त की गई और विधिक राय प्राप्त होने पर बिना किसी देरी की अवधि अपील पेश कर दी है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा देरी की अवधि दिनांक 10.05.18 से 08.05.19 तक कण्डोन दिये जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि मातहत अदालत में निर्णय के समय दोनों पक्ष मौजूद थे, इसलिए अपीलाण्टान/प्रतिवादीगण को निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। अपील को इतने समय पश्चात पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी का दिनप्रतिदिन का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर विवेचन करना आवश्यक है। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम सशपथ सत्यापित किया है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों में मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

सरकार पैरोकार मुख्य बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। सरकार पैरोकार का बहस में कथन है कि विवादित भूमि राजस्व रेकॉर्ड में चारागाह दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत चारागाह भूमि के खातेदारी अधिकार किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट/प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने का भी कतई अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेण्टान मातहत अदालत के निर्णय की आड में आराजी पर कब्जा करने व कागजात माल में नाम दर्ज कराने तथा आराजी को खुर्द बुर्द करने की चेष्टा में है जबकि रेस्पोडेण्टान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। इस प्रकार सरकार पैरोकार द्वारा अपील स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.18 को अपास्त करने का निवेदन न्यायालय हाजा से किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा मुख्य बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि विवादित आराजी रेस्पोडेण्टान के पिता छाजूराम को आवंटनशुदा भूमि है। जमाबन्दी सम्वत 2032 व 2036 में छाजूराम के नाम अलॉटी गैरखातेदार काश्तकार का इन्द्राज कर दिया गया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2049 में विवादित आराजी को गलत रूप से चारागाह भूमि दर्ज कर दी गई। विवादित आराजी वक्त आवंटन बारानी सोयम थी व काबिल

काश्त है एवं यह कभी चारागाह नहीं रही ना चराई के काम आई बल्कि आवंटन के बाद से काश्त होती चली आ रही है व आज भी वादीगण का कब्जा काश्त है। मातहत अदालत द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने की इस्तदुआ की गई। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में कानूनी दृष्टान्त 2016 (1) आरआरटी 374, 2015 (2) आरआरटी 1214, 2020 (1) आरआरटी 24, 2018–19 (Supp.) आरआरटी 505 तथा 2019 (2) आरआरटी 970 पेश किए।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.18 का भी अवलोकन किया गया। अदालत हाजा द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित पूर्व में दायर अपील संख्या 2009/112 में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2017 का अवलोकन भी किया गया। अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया।

Ex P9 घटना बही पटवारी, सर्कल घाटा दिनांक 31.12.75 में क्र.सं. 08 पर अपीलाण्ट के पूर्वज श्री छाजू पुत्र भूदर गुवांरिया को ख.नं. 308 मि. एवं ख.नं. 333 में 04 बीघा 09 बिस्वा कुल 05 बीघा 03 बिस्वा जमीन आवंटन का उल्लेख है। खाली सिवायचक भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र दिनांक 16.09.1975 नंगला चिरावडा में उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन किया गया है।

Ex P5 जमाबंदी सम्वत् 2036 नंगला चिरावडा पटवार हल्का घाटा में ख.नं. 308 मि., ख.नं. 333 किस्म बारानी में 04 बीघा 09 बिस्वा छाजू पुत्र भूधर गंवारिया के नाम गैरखातेदारी दर्ज है, परन्तु Ex P12 जमाबन्दी सम्वत् 2049 में उक्त ख.नं. ''ग्राम वासियों द्वारा आंशिक चराई अलावा दूसरे सम्मिलित प्रयोजनार्थ हेतु रखी गई बिना जोती भूमि–चारागाह'' दर्ज है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि भूमि चारागाह किस आदेश के तहत दर्ज की गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त यहां चस्पा होते हैं–

2019 (2) आरआरटी 970 – राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 – धारा 88 एवं 188 – वाद डिक्री किया – प्रथम अपील खारिज की – विवादित भूमि सम्वत् 2000 व 2012 के रेकॉर्ड में दादा व पिता के नाम दर्ज थी – भूमि दादा की खुदकाश्त थी – भू प्रबन्ध विभाग को चारागाह दर्ज करने में सक्षम नहीं था – निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष – निर्णीत, अपीलें सारहीन है व खारिज की।

2020 (1) आरआरटी 24 – राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 – धारा 88 एवं 188 – राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय अपास्त किया तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया – अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय भूमि जागीरदार की खुदकाश्त थी – सम्वत् 2020 में भूमि गोचर दर्ज की – सेटलमेन्ट में कैसे भूमि गोचर दर्ज की, साबित नहीं किया – भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की नहीं है – वादी/अपीलाण्ट खातेदारी अधिकार हेतु हकदार है – निर्णित, निर्णय अपास्त किये व वाद डिक्री किया।

2016 (1) आरआरटी 374 – काश्तकारी अधिनियम, 1955 – धारा 212 – स्थायी निषेधाज्ञा – विचारण न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार की और प्रतिवादीगण को अवरोधित किया – रा.अ.प्रा ने अपील स्वीकार की तथा आदेश अपास्त किया – भूमि हरदेव पुत्र धूला की खातेदारी में थी – सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने 'के' का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया – भूमि हरदेव की स्वअर्जित थी – रिकॉर्ड की प्रविष्टियां परिवर्तित करने हेतु सेटलमेन्ट सक्षम नहीं था और प्रविष्टियों की पुनरावृत्ति करने हेतु वे बाध्य हैं – निर्णीत, आदेश अपास्त किया।

उपर्युक्त कानूनी दृष्टान्तों से प्रकरण रेस्पोडेण्ट के पक्ष में साबित होता है। विवादित आराजीयात रेस्पोडेण्ट के पिता की आवंटित गैरखातेदारी भूमि थी, जिसको बन्दोबस्त/राजस्व विभाग चारागाह भूमि के रूप में परिवर्तित करने हेतु सक्षम नहीं था। इस आधार पर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 10.05.2018 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2018 को यथावत रखा जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना) 27/9/21
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर